केकड़ी में गो सम्मान आह्वान अभियान को मिला व्यापक समर्थन

राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री व राज्यपाल के नाम सौंपा गया प्रार्थना पत्र

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

केकडी, 27 अप्रैल (दीपांकुर चौहान)। गो माता के संरक्षण और सम्मान को लेकर चल रहे गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को केकड़ी में व्यापक जनसहभागिता देखने को मिली। अभियान के अंतर्गत गौ भक्तों, सामाजिक संगठनों एवं क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान के माध्यम से प्रार्थना पत्र सौंपा।

बालाजी मंदिर से निकली रैली, कीर्तन के साथ पहुंचा जत्था

बढ़ते कदम गौशाला संस्थान के मीडिया प्रभारी महेन्द्र प्रधान ने बताया कि अभियान की शुरुआत प्रातः 10ः15 बजे अजमेर रोड स्थित बालाजी मंदिर एवं तेजाजी महाराज मंदिर परिसर से हुई। यहां बड़ी संख्या में गौ भक्त, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, युवा एवं गौशाला प्रतिनिधि एकत्रित हुए। कवि बुद्धि प्रकाश दाधीच के नेतृत्व में हरिनाम कीर्तन एवं जय गोपाल, जय गौ माता के जयघोष के साथ रैली अजमेर-कोटा मार्ग से होते हुए मुख्य मार्गों से गुजरकर उपखंड कार्यालय पहुंची।

प्रार्थना पत्र में रखी प्रमुख मांगें

उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रतिनिधियों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना पत्र सौंपा। इसमें गो माता को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने, गोवंश संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने, देशभर में गो सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की प्रमुख मांगें रखी गईं। वक्ताओं ने कहा कि गोवंश भारतीय संस्कृति, कृषि व्यवस्था और धार्मिक आस्था का अभिन्न अंग है, जिसके संरक्षण की जिम्मेदारी समाज और सरकार दोनों की है।

गो सेवा जनआंदोलन का रूप ले रही

कार्यक्रम के दौरान बढ़ते कदम गौशाला के व्यवस्था प्रमुख आनंदीराम सोमानी ने कहा कि यह अभियान केवल एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि जनआंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक गो माता के संरक्षण और सम्मान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

उत्साह, अनुशासन और एकजुटता का संदेश

कार्यक्रम के दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने हाथों में गौ सम्मान के ध्वज लेकर नारों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण एवं अनुशासित रही, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।

गणमान्य नागरिकों की रही उपस्थिति

रैली एवं प्रार्थना पत्र कार्यक्रम में बुद्धि प्रकाश दाधीच, कैलाश माली, केकड़ी गोशाला अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी, सुरेन्द्र जोशी, अमित गर्ग, एडवोकेट घनश्याम वैष्णव, यशवंत बेली, हीराचंद खूंटेटा, सुभाष भाल, राजेंद्र फतेहपुरिया, दशरथ साहू, रामावतार चौधरी, रितेश जैन, अनिल राठी, नंदलाल गर्ग, रमेश नुवाल, गुलाबचंद सोमानी सहित कादेड़ा गोशाला समिति के गोपाल सिंह, केदार शर्मा, अटल शर्मा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष सीताराम कुमावत सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

आभार व संकल्प

अंत में आयोजकों ने सभी सहभागी गौ भक्तों एवं क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया।

दुर्लभ बीमारी से युवक की आंख खराब, SMS-हॉस्पिटल में इलाज

ऑपरेशन के बाद लौटी रोशनी; 90 फीसदी तक चला गया था आंखों का विजन

जयपुर, 27 अप्रैल (का.सं.)। जयपुर में 19 साल के बच्चे की एक आंख दुर्लभ बीमारी से खराब हो गई थी। दुर्लभ बीमारी स्फेनॉइड म्यूकोसील के कारण बच्चे की राइट आई (सीधी आंख) का 90 फीसदी विजन चला गया था। इस पर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आंख का ऑपरेशन करने के 24 घंटे बाद विजन काफी हद तक लौट आया।

SMS हॉस्पिटल के सीनियर प्रोफेसर और ईएनटी डिपार्टमेंट एचओडी डॉ. रेखा हर्षवर्धन के मार्गदर्शन में डॉ. विकास रोहिला और उनकी टीम ने यह ऑपरेशन शनिवार को किया। डॉ. विकास रोहिला ने बताया- जयपुर का रहने वाला हिमांशु (19) करीब 2-3 महीने से आंखों के खराब विजन और सिर में हल्के दर्द से परेशान था। उसने जयपुर में कई आंखों के हॉस्पिटल में डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। इसके बाद न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स को भी दिखाया गया और ट्रीटमेंट लिया, लेकिन आंखों का विजन लगातार जाने लगा।

डीबी अस्पताल के लेबर रूम से गर्भपात की 15 हजार टेबलेट गायब; देर से बनाई जांच कमेटी, कार्रवाई नहीं कर रहा प्रबंधन

चूरू, 27 अप्रैल (का.सं.)। डीबी अस्पताल के लेबर रूम से गर्भपात में काम में आने वाली करीब 15 हजार मीजोप्रोस्टोन टेबलेट के गबन के खुलासे के बाद अस्पताल में हडकंप मचा हुआ है। टेबलेट का ये गबन पिछले 4 साल (2021 से 2024-25) में किया गया। मामले में पूरा अस्पताल प्रबंधन संदेह के घेरे में है। सबसे बड़ी बात ये है कि अस्पताल प्रशासन ने सतर्कता समिति के निर्देश के बावजूद दो महीने तक कमेटी गठित करने के मामले को दबाए रखा। जब एडीएम ने दोबारा लेटर भेजा तो आनन-फानन में कमेटी बनाकर समिति को रिपोर्ट भेजी। अब कार्रवाई का मामला अधरझूल में है।

एडीएम ने 22 अप्रैल को ही अस्पताल अधीक्षक को जिम्मेदारों पर कार्रवाई के मौखिक निर्देश दिए, लेकिन अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई। सतर्कता समिति ने 10 सितंबर 2025 को मामले में कमेटी गठित कर जांच के लिए लिखा था। 8 नवंबर 2025 को एडीएम ने दोबारा लेटर लिखकर कमेटी की रिपोर्ट मांगी तो तीन सदस्यीय टीम बनाकर रिपोर्ट भिजवाई गई। बतादें कि जो टेबलेट गायब हुई, उसके बाजार में बिकने पर रोक है।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा: 2025 में तत्कालीन नर्सिंग ऑफिसर लेबर रूम मेडिसन इंचार्ज कर्मजीत कौर ने ज्वॉइन किया। तब इस टेबलेट के आने एवं उपयोग होने एवं स्टॉक में गड़बड़ मिली तो उन्होंने तत्कालीन गायनिक एवं रेजीडेंट डॉक्टर्स से चर्चा की।

टोडाभीम के लेखक एन. के. शर्मा ने बढ़ाया जिले का मान, राज्यपाल ने किया पुस्तक का विमोचन

टोडाभीम, मदन मोहन गर्ग। टोडाभीम के युवा लेखक एवं विचारक एन. के. शर्मा की पुस्तक प्रेरणा से परिवर्तन की ओर का विमोचन सोमवार सुबह 10 बजे राजभवन, जयपुर में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर लेखक ने अपनी पुस्तक की प्रति राज्यपाल को भेंट की।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने लेखक को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। उन्होंने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि यह कृति युवाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक होगी।

इस अवसर पर लेखक के परिवारजन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उनकी पत्नी सुश्री माधुरी शर्मा, पुत्री युविका शर्मा एवं अविका शर्मा की उपस्थिति ने आयोजन को भावनात्मक रूप से और भी खास बना दिया। पुस्तक प्रेरणा से परिवर्तन की ओर प्रेरणा, आत्मविकास और सकारात्मक बदलाव जैसे विषयों पर केंद्रित है। इसमें युवा पीढ़ी को सही दिशा में आगे बढ़ने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया है। गौरतलब है कि एन. के. शर्मा टोडाभीम के निवासी हैं और अपने लेखन के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र और जिले का नाम गौरवान्वित हुआ है।

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 16.05.2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :
चूरू, चूरू राजस्थान, 0135110700012249, 2295, हनुमानगढ़, पिलीबंगन, 0135180700037722,

ऊपर बताई गई नीलामी में हिस्सा लेने के इच्छुक व्यक्तियों को नीचे दी गई बातों का पालन करना होगा: इच्छुक बोली लगाने वालों को नीलामी के दिन ही एनईएफटी/आरटीजीएस के ज़रिए 10,000/- रुपये ईएमडी (जो बोली हारने वालों को वापस कर दिया जाएगा) जमा करना होगा। बोली लगाने वालों के पास वैध आईडी कार्ड/पैन कार्ड होना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया 9072607147 पर संपर्क करें।

अधिकृत अधिकारी
मणप्पुरम फायनेंस लि. हेतु.

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने चूरू में नई शाखा के साथ राजस्थान में अपनी उपस्थिति बढ़ाई

चूरू, 27 अप्रैल (का.सं.)। अग्रणी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की सहायक कंपनी आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएचएफएल) ने अपने अखिल भारतीय वितरण नेटवर्क के विस्तार की व्यापक योजना के तहत चूरू में एक नई शाखा शुरू कर राजस्थान में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। इस नई शाखा के साथ, राजस्थान में एबीएचएफएल का कुल नेटवर्क बढ़कर 13 शाखाओं तक पहुंच गया है, जिससे उच्च-विकास वाले बाजारों में इसकी उपस्थिति मजबूत हुई है और ग्राहकों की पहुंच बेहतर हुई है।

विस्तार पर आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ श्री पंकज गाडगिल ने कहा, राजस्थान हमारे लिए एक प्रमुख विकास बाजार है। मजबूत मांग और बढ़ती आकांक्षाओं के साथ, हम ग्राहकों के साथ गहरा जुड़ाव बनाने के लिए अपनी क्षेत्रीय उपस्थिति का विस्तार कर रहे हैं। अपने बढ़ते वितरण नेटवर्क को मजबूत डिजिटल क्षमताओं के साथ जोड़कर, हमारा उद्देश्य ग्राहकों के लिए घर खरीदने की यात्रा को सरल, तेज़ और बिना किसी परेशानी के बनाना है।

चूरू एक उभरता हुआ बाजार है, जहां किफायती आवास और औपचारिक ऋण तक पहुंच की मांग लगातार बढ़ रही है, विशेष रूप से स्व-रोज़गार और उभरते आय वर्गों के बीच। नई शाखा इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुलभ और स्थानीयकृत हाउसिंग फाइनेंस समाधान प्रदान करेगी।

एबीएचएफएल विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए अनुकूलित हाउसिंग फाइनेंस समाधानों की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें किफायती आवास, प्राइम हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी शामिल हैं। ये सेवाएं वेतनभोगी व्यक्तियों, स्व-रोज़गार पेशेवरों, स्व-रोज़गार गैर-पेशेवरों और उभरते आय वर्गों की जरूरतों को पूरा करती हैं। मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम के समर्थन से, एबीएचएफएल सहज ऑनबोर्डिंग, तेज़ स्वीकृति और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिलता है।

लॉन्च के अवसर पर, एबीएचएफएल 27 अप्रैल से 31 मई 2026 तक शून्य लॉगिन शुल्क और ?50 लाख तक के स्पॉट लोन सैंक्शन की पेशकश कर रहा है, जिससे ग्राहकों को तेज़ और अधिक किफायती तरीके से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। 'हैप्पी होम लोन जर्नी' के अपने वादे के अनुरूप, यह विस्तार एबीएचएफएल के ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, जिम्मेदार ऋण वितरण और विविध एवं संतुलित रिटेल पोर्टफोलियो के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने हेतु 11000 हस्ताक्षरों की पोथी के साथ एडीएम को सौंपा ज्ञापन

गंगापुर सिटी, 27 अप्रैल (मदन मोहन गर्ग)। गंगापुर सिटी में गौ माता सम्मान अभियान दिवस के अवसर पर सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 11ः00 बजे गौ सेवकों ने 11000 हस्ताक्षरों की पोथी के साथ एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। यह अभियान पूरे भारतवर्ष में संतों एवं गौ सेवकों द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने तथा गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु कानून बनाने की मांग प्रमुख रही। तहसील प्रचारक गौ सेवक गोविंद नारायण शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत प्रखंड, उपखंड, तहसील एवं जिला स्तर पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। गंगापुर सिटी में यह कार्यक्रम पुरानी अनाज मंडी स्थित सीताराम जी के मंदिर से विधि-विधान के साथ प्रारंभ हुआ, जहां 11000 हस्ताक्षरों की पोथी के साथ गौ माता का पूजन किया गया। इस दौरान पंचमुखी बालाजी महंत श्री 108 रामस्वरूप दास त्यागी जी महाराज एवं अन्य गौ सेवकों की उपस्थिति रही। गोपाल गौशाला अध्यक्ष विजय गोयल ने बताया कि ज्ञापन सौंपने के लिए गौ सेवक जुलूस के रूप में निकले। जुलूस में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने एवं गौ हत्या बंद करने के नारे लगाए गए। हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और युवा गौ सेवक एडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित गौ भक्तों में डॉ. मनोज जैन, दिलीप तिवारी, डॉक्टर हेमंत शर्मा, नंदकिशोर अग्रवाल, सीताराम शर्मा, राजेंद्र नरूका, कृपा शंकर शर्मा, दर्शन गुर्जर, भगवान सिंधी, प्रवीण कुमार पचौरी, भानु पारीक, सुरेश गुर्जर, रिंकू सिंह, डॉक्टर राहुल गुप्ता, राम चरण कटारिया, राधा दीक्षित, पूनम जगबानी, प्रियंका शर्मा, पदमा अग्रवाल, कौशल्या खंडेलवाल, रमेश सेन, दीपक शर्मा, ओमप्रकाश गुप्ता, हिमांशु दुलारा, सुरेश नंदनी, नरेश मीणा, पंखिड़ा सैनी, जुगल किशोर शर्मा, कृष्णानंद दीक्षित, अनिल कुमार गोयल, मुकेश चौधरी, सीताराम शर्मा, देवेंद्र पाल, महेंद्र बोहरा, रामबाबू शर्मा, बाबूलाल गुर्जर, रामस्वरूप दास, मनीष सेन, गौरव सोनी, विकास शुक्ला, मोहित वैष्णव, किशन वैष्णव सहित सैकड़ों गौ सेवक मौजूद रहे।

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उदयपुर (राज.)

पता: माकन नं. 16 ब्लॉक सी हिरणमगरी सवीना सेक्टर-9 क्रिस्टल प्लाजा के पास उदयुपर

(email-eemhudaipur@gmail.com, ee-mh-udaipur.gov.in)

क्रमांकरू चि.एवं स्वा./उदयपुर/2026-27/133 दिनांक: 22/4/26

ई-निविदा सूचना संख्या 02/26-27 **MHS2627A0292**

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के उदयपुर, सलुम्बर एवं सिरोही जिले में निर्माण कार्य मय पांच साल की दोष निवारण अवधि (जहाँ लागु हो) के लिए उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/ रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए., ए., बी, सी एवं डी श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो अनुभवी संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा को दिनांक **07.05.2026** सांय **6.00** बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण http://eproc.rajasthan.gov.in व SPPP.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता हैं।

UBN NO.

1	MHS2627WSOB00419

अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उदयपुर

DIPR/C/7401/2026

कोटा में 8 साल का रिकॉर्ड टूटा,पारा 44 डिग्री पहुंचा

कोटा। कोटा में सोमवार को सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं न्यूनतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया गया।

आईआईडब्ल्यू अवार्ड गंगापुर सिटी की बेटी येदिता शर्मा को, लंदन में भारतीय कला और संस्कृति से ब्रिटिश बच्चों को परिचय करा रही है येदिता, ननिहाल लाल कोठी में त्यौहार जैसा उत्सव

गंगापुर सिटी/जयपुर, 27 अप्रैल (मदन मोहन गर्ग)। गंगापुर सिटी के पारस शर्मा और लाल कोठी, जयपुर की रिचा शर्मा की पुत्री 9 वर्षीया येदिता शर्मा को ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयोजित कार्यक्रम में आईआईडब्ल्यू शी इन्सपायर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा व मीडिया में उल्लेखनीय सफलता के लिए ब्राइट आर्टिस्ट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। लेबर पार्टी की ब्रेंटवफोर्ड एंड आइजलवर्थ से हाउस ऑफ कॉमंस में सांसद रूथ कैडबरी ने उन्हें सम्मानित कर उनके कार्यों की सराहना की।

इन्सपायरिंग इंडियन वूमन (आईआईडब्ल्यू) लंदन स्थित संस्था है जो अप्रवासी भारतीय महिलाओं को अपने मूल्यों से जोड़े रखने तथा उनके व्यक्त्वि विकास व आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रही है।

येदिता को यह सम्मान चैरिटी कार्यों और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए दिया गया। वे ब्रिटिश बच्चों विशेषकर भारतीय अप्रवासियों के बच्चों के बीच भारतीय संस्कृति, कला का प्रचार-प्रसार कर रही है तथा आवश्यकता वाले बच्चों को मोबाइल व साझा लाइब्रेरी के माध्यम से ज्ञान व डेटा तक उनकी अन्य बच्चों के समान पहुंच बनाए रखने में मदद कर रही है।

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
VASTU HOUSING FINANCE
यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, ''ए'' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सिवड़ी (पश्चिम), मुंबई 400015 महाराष्ट्र
CIN No.: U65922MH2005PLC272501

कब्ज़ा नोटिस

जबकि, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) और नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लेखित राशि का भुगतान करने हेतु मांग नोटिस जारी किया था। उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने पर, मैंने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता और गारंटर को विशेष रूप से और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा द्वारा नीचे उल्लेखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के शुल्क के अधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम और लैन नंबर	मांग सूचना की दिनांक और राशि	संपत्ति का विवरण	दिनांक और प्रकार का स्वामित्व
1.	घीसी बाई (मृतक के बाद से), अर्थात् मनोज (पुत्र) (स्वर्गीय घीसी बाई का कानूनी उत्तराधिकारी), सुनील (पुत्र) (स्वर्गीय घीसी बाई का कानूनी उत्तराधिकारी), सरोज (बेटी) (स्वर्गीय घीसी बाई का कानूनी उत्तराधिकारी), सह-उधारकर्ता: सुनील कुमार, मनोज, गारंटर: बंटी MLP000000115459	28/जनवरी/26 रु.386532/- 16/जनवरी/26 तक	आवासीय संपत्ति पट्टा क्रमांक 2224, मिसल क्रमांक 826, ग्राम मंडाना, ग्राम पंचायत मंडाना, पंचायत समिति लाडपुरा, कोटा, राजस्थान-325003, आकार 1320 वर्ग फीट, में स्थित, इंद्रवास कॉलोनी, मंडाना, कोटा, राजस्थान-325003, सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर - खुला प्लॉट दक्षिण - रामचरण जी रेगर का घर पूर्व - आम रास्ता थान रामदयाल जी का मकान पश्चिम - राम का घर	सांकेतिक कब्ज़ा लिया गया 25/04/2026
2.	विष्णु खाती (उधारकर्ता), पुष्पा देवी (सह-उधारकर्ता), कैलाश चंद जांगिड़ (सह-उधारकर्ता) HL0000000151786	18/नवम्बर/25 रु.1693701/- 17/नवंबर/25 तक	यूनिट/फ़्लैट नंबर F-01, पहली मंज़िल पर (छत के अधिकार के बिना), प्लॉट नंबर 148-149, स्कीम अल्कापुरी में स्थित; गाँव निवारू, निवारू रोड, जयपुर, राजस्थान 302012 पर स्थित। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर - प्लॉट नंबर 150; दक्षिण - प्लॉट नंबर 147; पूर्व - प्लॉट नंबर 140-141; पश्चिम - सड़क (09.00 मीटर)।	भौतिक कब्ज़ा लिया गया 23/04/2026

दिनांक : 28.04.2026
स्थान : कोटा, जयपुर
अधिकृत अधिकारी
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

Arcil
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल)
विभिन्न आर्सिल ट्रस्टों के न्यासी के रूप में कार्यरत
आर्सिल कार्यालय: दा रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400 028
वेबसाइट: https://auction.arcil.co.in; CIN-U65999MH2002PLC134884

कब्ज़ा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) (''उक्त अधिनियम'') के तहत **AIRCIL-TRUST**-2026-035 **("ARCIL")** के न्यासी के रूप में कार्य करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''उक्त नियम'') के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, तो मैंने 19/जनवरी/26 को उधारकर्ता को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि... रामगोपाल, प्रेम बाई, अनिल, महावीर **(MHL000000197809)**, गारंटर और बंधकदारों को राशि चुकाने का आदेश दिया जाता है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:
उधारकर्ता/गारंटर/बंधकदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, उधारकर्ता/गारंटर/बंधकदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित अचल संपत्ति पर ''जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है'' के आधार पर नीचे दी गई तिथि से कब्जा कर लिया है।

उधारकर्ता का नाम और जमानतदार	मांग सूचना	संपत्ति का विवरण	कब्ज़े की तारीख
1. रामगोपाल (आवेदक), 2. प्रेम बाई (सह-उधारकर्ता), 3. अनिल (सह-उधारकर्ता), 4. महावीर (गारंटर)	दिनांक 16/जनवरी/26 तक राशि रूपये 675620/- (छह लाख पचहत्तर हज़ार छह सौ बीस रुपये मात्र) थी। दिनांक: 19/जनवरी/26 को नोटिस जारी किया गया।	अचल संपत्ति का वह समस्त भाग और हिस्सा, जो पट्टा संख्या-7619, मिसल संख्या- 67, ग्राम पंचायत बोरीना कलां, पंचायत समिति सांगोद, सरकारी स्कूल के पास, कोटा, राजस्थान - 325601 पर स्थित है; जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर - रामबिलास, दक्षिण - बद्रीलाल, पूर्व - बाड़ा, पश्चिम - आम रास्ता।	भौतिक कब्ज़ा 25/04/2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि आर्किल उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद आर्किल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं करेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन आर्किल द्वारा उपर्युक्त राशि के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि शामिल होंगे।
ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान : कोटा
दिनांक : 28.04.2026
हस्ता/-
अधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
AIRCIL-TRUST-2026-035 के ट्रस्टी

Arcil
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल)
विभिन्न आर्सिल ट्रस्टों के न्यासी के रूप में कार्यरत
आर्सिल कार्यालय: दा रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई-400 028
वेबसाइट: https://auction.arcil.co.in; CIN-U65999MH2002PLC134884

कब्ज़ा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 ऑफ 2002) (''उक्त अधिनियम'') के तहत **AIRCIL-TRUST**-2026-035 **("ARCIL")** के न्यासी के रूप में कार्य करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''उक्त नियम'') के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए, तो मैंने 17/सितंबर/25 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता को सूचित किया गया था। गोरधन गोरधन, गीताबाई बाई, मांगीलाल लाल (**MLP**000000252473), गारंटर और बंधकदारों को राशि चुकाने का आदेश दिया जाता है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:
उधारकर्ता/गारंटर/बंधकदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान न कर पाने के कारण, उधारकर्ता/गारंटर/बंधकदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ''जैसा है, जहां है और जो कुछ भी है'' के आधार पर, नीचे दी गई तिथि से उक्त अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

उधारकर्ता का नाम और जमानतदार	मांग सूचना	संपत्ति का विवरण	कब्ज़े की तारीख
1. गोरधन गोरधन (आवेदक), 2. गीताबाई बाई (सह-उधारकर्ता), 3. मांगीलाल लाल (सह-उधारकर्ता)	दिनांक 9 सितंबर 2025 तक राशि रूपये 405431/- (चार लाख पांच हजार चार सौ इकतीस रुपये मात्र) थी। दिनांक 17 सितंबर 2025 का नोटिस जारी किया गया।	पट्टा डीड संख्या **JWR**-58881 खसरा नंबर 36 खसरा नंबर 36 ग्राम पंचायत खेरिया राजस्थान, माप 462 वर्ग फीट, सीमाएं इस प्रकार हैं- उत्तर - गोकुल मेहर का मकान दक्षिण - आम रास्ता पूर्व - आम रास्ता पश्चिम - गली 2 फिट चौड़ाई	भौतिक कब्ज़ा 25/04/2026

ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि आर्किल उपर्युक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जे में है और सरफेशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, ऋणकर्ता/गारंटर/गिरवीदार या कोई भी व्यक्ति, इस सूचना की प्राप्ति के बाद आर्किल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित/हस्तांतरित नहीं करेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन आर्किल द्वारा उपर्युक्त राशि के प्रभार के अधीन होगा, जिसमें उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि शामिल होंगे।
ऋणकर्ताओं/गारंटरों/गिरवीदारों का ध्यान उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान : कोटा
दिनांक : 28.04.2026
हस्ता/-
अधिकृत अधिकारी
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
AIRCIL-TRUST-2026-035 के ट्रस्टी

Bandhan Bank
रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छ: रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन: +91-79-26421671-75

ऋणीओं के लिए मांग सूचना

नीचे बताया गया खाता एन.पी.ए. में परिवर्तित किया गया है और बंधन बैंक द्वारा सिक्युरिटाइझेशन एन्ड रिकन्स्ट्रकशन ओफ फायनान्सियल एसेट्स एन्ड एन्फोर्समेन्ट ओफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट (धी एक्ट), 2002 की धारा 13(2) तहत नीचे बताए गए कर्जदारों को डिमान्ड नोटिस जारी की गई थी, जो वापिस आई है। इस लिए आप सभी को और सार्वजनिक जनता को इस प्रकाशन द्वारा नोटिस जारी की जा रही है।

ऋणीयों के नाम और ऋण खाता नं.	बंधक संपत्ति (सुरक्षित संपत्ति) का ब्यौरा	मांग सूचना की तिथि/ NPA की तिथि	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि	सूचना चस्पा करने की तिथि
श्री दिनेश मलाव श्री मुकेश टिकम चंद श्री टिकम चंद श्रीमती रमेशी बाई 20007140001049	सभी चल और अचल संपति, जो फाइनल प्लॉट नं.-106, 109, 113, हाउस नं.- ऐ 814, स्वराज, आदित्य हाउसिंग, मानपुरा, लाडपुरा, कोटा, राजस्थान - 324001 स्थित है और जो आवरित है:	मई 31, 2025/ मई 06, 2025	रु,4,08,353.58 (मई 19, 2025 तक)	अप्रैल 17, 2026
श्री हितेश खुबचंदानी श्रीमती नैना खुबचंदानी 90001168875308	सभी चल और अचल संपति, जो प्लॉट नं. 6, खसरा नं. 227, सिद्धि विनायक नगर, ग्राम नायकहेड़ा, तहसील-लाडपुरा, कोटा, राजस्थान - 324001, क्षेत्रफल 195.91 वर्ग फुट स्थित है और जो आवरित है:	अक्टूबर 03, 2025/ अगस्त 03, 2025	रु,88,17,823.77 (सितंबर 09, 2025 तक)	अप्रैल 17, 2026

आप से इस सूचना के माध्यम से यह मांग की जाती है की इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपके नाम के सामने वर्णित बकाया लोन राशि ब्याज, खर्च, शुल्क सहित का भुगतान कर दें, अन्यथा सरफैसी एक्ट की धारा 13(4) के तहत अगली कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षित संपत्ति को रीडीम करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

स्थान: कोटा
तारीख: अप्रैल 28, 2026
प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिंक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08